

परियोजना का नाम :-

जनपद-देहरादून मसूरी स्थित श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता की निजी वन भूमि स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-चकराता रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है० भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति तथा उक्त से सम्बन्धित प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।



आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-चकराता रोड, मसूरी स्थित निजी वन भूमि में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है० भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निजी वन भूमि में निर्माण किया जाना है। चूंकि श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-चकराता रोड, मसूरी निजी वन भूमि घोषित है। अतः आपके सन्दर्भित पत्र के अनुरूप इस निजी वन भूमि में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पुर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित/प्रस्तुत किया जा रहा है।

सक्षम स्तर से उक्त प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है/न होगी। अतः प्रस्तावित विस्तार एवं निर्माण की संस्तुति की जाती है।

Photo Copy Attested

C. R. ARYA
Advocate
Mussoorie (Dehradun)
Regn. No. 43(01)2014

नगर पालिका परिषद, मसूरी।
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

75/15